न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3617–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–9–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर प्रकरण क्रमांक 304/अपील/2013–14.

.....

शफी पिता अब्बजी
निवासी ग्राम जाकूखेड़ी
तहसील महू, जिला इन्दौर
हाल मुकाम ग्राम नायता मुण्डला
तहसील व जिला इन्दौर
द्वारा आममुख्त्यार
निसार मोहम्मद पिता शफी मोहम्मद
निवासी सदर .....आवेदक

विरूद्ध

1– अल्लाबक्स पिता सुबराती
निवासी ग्राम जाकूखेड़ी
तहसील महू, जिला इन्दौर
2– गब्बू पिता अल्लाबक्स
निवासी ग्राम जाकूखेड़ी
तहसील महू, जिला इन्दौर .....अनावेदकगण

.....

श्री मोहन शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री लीलेश शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 16/7/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–9–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा अपर तहसीलदार, मानपुर, तहसील महू जिला इन्दौर के समक्ष संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत उभय पक्ष की संयुक्त स्वामित्व की ग्राम चैनपुरा एवं जाकूखेड़ी स्थित भूमि के बटवारे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 14/अ–27/2012–13 दर्ज किया जाकर दिनांक 15–7–2013 को आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया गया एवं फर्द पर सर्वे कमांक 168 रकबा 0.413 हेक्टेयर के सन्दर्भ में नोट लगाने के निर्देश दिये गये कि उक्त भूमि उभय पक्ष के खाते से कम होगी । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, महू जिला इन्दौर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 26–5–2014 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया । साथ ही अल्लाबक्स पिता सुबराती का ऋण पुस्तिका के अनुसार सर्वे कमांक 52/2/1 रकबा 0.414 हेक्टेयर के सम्बन्ध में एवं गब्बू पिता अल्लाबक्स का ऋण पुस्तिका के अनुसार सर्वे कमांक 52/2/2 रकबा 2.277 हेक्टेयर के सम्बन्ध में राजस्व अभिलेख में पूर्व की स्थिति कायम किये जाने के आदेश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील पस्तुत की गई, और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 29–9–2014 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि फर्द बटवारे पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर तहसीलदार द्वारा पारित बटवारा

आदेश वैधानिक एवं उचित है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है कि पटवारी को नोट लगाने का अधिकार नहीं है, जबकि पटवारी द्वारा तहसीलदार के आदेश के पालन में नोट लगाया गया है। तर्क में यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष भी अनुचित है कि फर्द बटवारा पर अनावेदकगण के हस्ताक्षर नहीं हैं, जबकि उनके द्वारा फर्द बटवारा पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विस्तृत विवेचना करते हुए आदेश पारित किया गया है, जिसे निरस्त करने में दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि उभय पक्ष के मध्य पूर्व में बटवारा होकर अपने–अपने हिस्से पर उनका नामान्तरण भी हो गया है । यह भी कहा गया कि बटवारा उपरान्त उभय पक्ष द्वारा अपने–अपने हिस्से की भूमियों में से भूमियां विक्रय की गई हैं, और क्रेताओं के नामान्तरण भी हो चुके हैं । इस आधार पर कहा गया कि 30–35 वर्ष पूर्व हुए बटवारे के आधार पर उभय पक्ष का नाम दर्ज होने के उपरान्त तहसीलदार द्वारा बटवारा आदेश पारित करने में अवैधानिक एवं अनुचित कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष आपत्तियां प्रस्तुत की गई थी, परन्तु उनका निराकरण तहसीलदार द्वारा नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि ऋण पुस्तिका में अनावेदकगण का ज्यादा रकबा अंकित है । तर्क में यह भी कहा गया कि ग्राम जाकूखेड़ी के फर्द को ग्राम चैनपुरा स्थित भूमि पर लागू करने में तहसीलदार द्वारा विधि की गम्भीर भूल की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय से अनावेदकगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश भी हो गया है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सन्दर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि

तहसीलदार द्वारा आवेदक को 2.003 हेक्टेयर भूमि एवं अनावेदकगण को 0.685 हेक्टेयर भूमि बटवारे में दी गई है, जो कि असमान बंटवारा है और तहसीलदार द्वारा असमान बंटवारा किये जाने का आधार भी अपने आदेश में नहीं दर्शाया गया है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा आदेश में इस आशय का नोट लगाने के निर्देश दिये गये हैं कि फर्द पर सर्वे नम्बर 168 रकबा 0.143 हेक्टेयर भूमि उभय पक्ष के खाते से कम होगी, जबकि पटवारी द्वारा प्रस्तुत फर्द बटवारे में उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार उनके द्वारा अफसर पिता बाबू को भूमि विक्रय करना बताया है । इस प्रकार पटवारी को फर्द पर उपरोक्त उल्लेख करना उचित नहीं है, इससे ऐसा परिलक्षित होता है कि पटवारी द्वारा स्वामित्व के आधार पर फर्द बटवार तैयार नहीं कर पक्षकार के कहने पर फर्द बटवारा तैयार किया गया है । अतः तहसीलदार के आदेश में की गई उपरोक्त अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है परन्तु उनके द्वारा बिना साक्ष्य लिये अनावेदकगण की ऋण–पुस्तिकाओं के अनुसार सर्वे कमांक 52/2/1 रकबा 0.414 हेक्टेयर भूमि अनावेदक कमांक 1 का एवं सर्वे कमांक 52/2/2 रकबा 2.277 हेक्टेयर भूमि पर अनावेदक कमांक 2 का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने का आदेश देने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है और उपरोक्त भूमियां अनावेदकगण के नाम दर्ज करने का कोई कारण अथवा आधार भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश में नहीं दर्शाया गया है । संहिता की धारा 49 में हुए संशोधन के फलस्वरूप अनुविभागीय अधिकारी का यह विधिक दायित्व था कि वे प्रकरण में साक्ष्य लेकर साक्ष्य के आधार पर विस्तृत विवेचना करते हुये विधिवत बटवारा आदेश पारित करते, इस कारण अनुविभागीय अधिकारी का आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है और चूंकि अपर आयुक्त द्वारा उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई है इसलिए उनका आदेश भी निरस्त किए जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29—9—2014, अनुविभागीय अधिकारी, महू जिला इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26—5—2014 एवं अपर तहसीलदार, मानपुर, तहसील महू जिला इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15—7—2013 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुए संहिता की धारा 178 के प्रावधानों के अनुरूप विधिवत कार्यवाही कर बटवारा आदेश पारित करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर